न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 238/2012
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/00035
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.06.2024

1. मुन्ना पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी जाटौली रतवान तहसील भरतपुर जिला भरतपुर (मृतक)
   1. सोहनलाल पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी जाटौली रतवान तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
   2. श्यामसिंह पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी जाटौली रतवान तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
   3. हुकमसिंह पुत्र मुन्ना जाति जाटव निवासी जाटौली रतवान तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
   4. सोनो पुत्री मुन्ना जाति जाटव निवासी जाटौली रतवान तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. धर्मा पुत्र बिहारी जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)

1/1. शीलादेवी पत्नि धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/2. चरनसिंह पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/3. अर्जुनसिंह पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/4. राजेश कुमारी पुत्री धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

12/06/24

Scanned with OKEN Scanner

1/5. रिकेश कुमारी पुत्री धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/6. विश्वेन्द्रसिंह पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/7. बृजमोहन पुत्र धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर जरिये माता खुद शीलादेवी पत्नि धर्मा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

2. राजन पुत्र छिगा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

3. मानसिंह पुत्र भजनीराम जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

5. सबरजिस्ट्रार नदबई

6. लक्ष्मन पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

7. सूरजमल पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

8. योगेन्द्र पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

9. श्यामसिंह उर्फ श्यामा पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

10. पूरनसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

11. महेन्द्र पुत्र सुगडसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

12. धर्मसिंह पुत्र पुन्नी जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

13. इन्द्रपाल पुत्र गनपत जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर(मृतक)

Scanned with OKEN Scanner

14. ताराचंद पुत्र गनपत जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

15. अमरचंद पुत्र गनपत जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

16. लालाराम पुत्र बुद्धी जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

17. छीतरिया पुत्र भीखा जाति जाटव निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

18. विजेन्द्र पुत्र भीखा जाति जाट0 निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

19. मैनेजर पी.एन.बी. शाखा लखनपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 15 के अतिरिक्त अन्य सभी पक्षकार बालिग हैं व दावा लडने के योग्य हैं। प्रतिवादी स. 15 काबिल सरपरस्त भाई खुद प्रतिवादी सं. 13 इन्द्रपाल को बनाया है, जिसके हित नाबालिग के विपरीत नहीं हैं।

2. यह कि आराजी खसरा न. 3602 रकवा 0.28, 3620 रकवा 0.11, 3630 रकवा 0.09, 3658 रकवा 0.09, 3844 रकवा 0.08, 3847 रकवा 0.08 किता 6 कुल रकवा 0.73 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/4 हिस्से पर वादी खातेदार की तरह काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है, शेष हिस्से के अन्य तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक रिकॉर्ड वाहिस्सा सहखातेदार वाकाबिज हैं। नकल जमाबंदी सं.

12/6/24

Scanned with OKEN Scanner

2065 से 2068 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई वादपत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 3602, 3620, 3630, 3658, 3844, 3847 सैटलमेंट सं. 2060 के पूर्व के खसरा नम्बरान 2742 रकवा 6 वि. 2745 रकवा 6 विस्वा 2505 रकवा 7 विस्वा 2520 रकवा 7 विस्वा 2487 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा 2492 रकवा 9 विस्वा वाके ग्राम बछामदी से बने हैं।

4. यह कि विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी के साबिक खसरा न. जो कि मद सं. 3 वादपत्र में दर्ज है, को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा कीमत 25000 रूपया देकर दिनांक 21.06. 2001 को खरीद किया तथा उक्त दिनांक 21.06.2001 से वादी विवादित आराजी पर खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के पक्ष में कीमत लेकर कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा ताफैसला 21.06.2001 के बाबजूद खरीदशुदा आराजी में से खसरा न. 2492 रकवा 9 विस्वा साबिक को बिना किसी अधिकार व बिना किसी कब्जे के दिनांक 13.06.2003 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पक्ष में विक्रय कर दिया जिससे वादी द्वारा खरीद शुदा विवादित आराजी का आज तक वादी के पक्ष में कोई दाखिलाखारिज व अमलदरामद नहीं हो सका। जिसकी जानकारी वादी को हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.10.12 को जानकारी दिये जाने व विवादित आराजी बाबत नकल जमाबंदी लिये जाने से हुई तथा इसी कारण वादी को अदालत श्रीमान में दावा लाना पडा है।

6. यह कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा न. 3630, 3658, 3844, 3847, 3602 वाके ग्राम बछामदी के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी से एवं हाल खसरा न. 3620 रकवा 0.11, वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के पक्ष में कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा तारीख

12/06/24

Scanned with OKEN Scanner

13.06.2003 बाबत साबिक खसरा न. 2492 वाके ग्राम बछामदी सं वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उक्त रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 13.6.2003 बाबत विवादित आराजी खसरा न. 2492 रकवा 9 बिस्वा वाके ग्राम बछामदी व मुकाबले वादी नल एण्ड वोईड है। अतः वादी विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी पर अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है, तथा विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी खसरा न. 3630, 3658, 3844, 3847, 3602 वाके ग्राम बछामदी के 1/4 हिस्से पर से वादी प्रतिवादी सं. 1 के नामा के इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी है, तथा विवादित आराजी खसरा न. 3620 रकवा 0.11 वाके ग्राम बछामदी सं प्रतिवादी सं. 2 के नाम के 1/4 हिस्से पर इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 13.06.2003 को साबिक खसरा न. 2492 रकवा 9 वि. व हाल खसरा न. 3620 रकवा 0.11 है. वाके ग्राम बछामदी के 1/4 हिस्से तक वातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है।

7. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 ने वामुकाम बछामदी तहसील नदबई पर वादी को दिनांक 17.10.12 को यह एलानियां धमकी दी कि वे वादी को विवादित आराजी मद सं. 2 वापत्र की आराजी के उसके जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 21.06.2001 के मुताबिक उसके हिस्से से जबरन बेदखल करके रहेंगे तथा विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करके रहेंगे तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को बदल कर रहेंगे अगर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

8. यह कि सहखातेदार गनपत पुत्र भजनीराम व भीका पुत्र सूका एवं रामदेई वेवा निहाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनके कायममुकाम वारिसान को तरतीवी प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 4

12/06/24

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 5 को राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु व सबरजिस्ट्रार नदबई को वयनामा की शक्तियां निहित होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिनसे अन्य कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

9. यह कि विनायमुखासमत दावा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 द्वारा वामुकाम बछामदी तहसील नदबई पर दिनांक 17.10.2012 को यह एलानियां धमकी दिये जाने से पैदा हुई है।

10. अतः वादपत्र वादी विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी का मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 21.06.2001 के खातेदार व काबिज है तथा विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र में से खसरा नं. 3630, 3658, 3844, 3847, 3602 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई से वादी प्रतिवादी सं. के नाम के इन्द्राजात खातदेरी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है तथा विवादित आराजी खसरा न. 3620 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई से प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम के इन्द्राजात खातेदारी को दादी कलमजन करा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना अधिकार के किये गये रजिस्टर्ड वयनामा बाबत साबिक खसरा न. 2492 रकवा 9 बिस्वा जिसका हाल खसरा न. 3620 रकवा 0.11 वाके ग्राम बछामदी बाबत प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वयनामा ता. 13.06.03 को वातिल व बेअसल घोषित करा पाने के अधिकारी है, तथा स्थाई निषेधाज्ञा व हकवादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 वादी को विवादित आराजी मद सं. 2 वादपत्र की आराजी से वादी को बेदखल न करे व उसके हिस्से में कोई मदाखलत मजाहमत न करे व रिकॉर्ड व मौके की यथाथिति बनाये रखे तथा उक्त आराजी किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल नहीं करें।

11. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश पराशर तथा 6 लगायत 11 व 14 से 18 कि ओर से श्री श्यामसिंह डागुर एडवोकेट ने उपस्थित हुऐ। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 व 6

12/06/24

लगायत 11 व 14 लगायत 18 कि ओर से जवाब दावा पेश किये जाने हेतु बार–बार अवसर दिये इसके बावजूद भी इनकी ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया , अप्रार्थी एडवोकेट द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दावा साक्ष्य वादी में नियत किया गया।

12. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2052–55, 2065–68, 2069–72वाके ग्राम बछामदी, नकल फोटो प्रति रजि. बयनामा ता. 21.06.2001, नकल फोटो प्रति रजि. बयनामा ता. 13.06.2003, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम बछामदी, नकल जमाबंन्दी आधार वर्ष वाके ग्राम बछामदी ,पेश किया गया तथा मौखिक बयान के रूप में वादी मुन्ना पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी जाटौली रतभान तहसील भतपुर व झम्मनसिंह पुत्र मेघसिंह जाति जाट निवासी जाटौली रतभान तहसील भतपुर व महेन्द्रसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर पेश किये गये।

13. प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि वाद पत्र में आराजी खसरा नं. 3602 रकवा 0.28, 3620 रकवा 0.11, 3630 रकवा 0.09, 3658 रकवा 0.09, 3844 रकवा 0.08, 3847 रकवा 0.08 किता 6 कुल रकवा 0.73 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी स. 1 धर्मा पुत्र बिहारी एवं अन्य खातेदार की खातेदारी का रिकॉर्ड में अंकन हो रहा है। तथा ख.न. 3620 रकवा 0.11 वाके ग्राम बंछामदी पर प्रतिवादी स. 2 व 3 राजन व मानसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा विवादित आराजी के हाल ख.न. 3602, 3620, 3630, 3658, 3844, 3847, सैटमेट संवत 2060 के पूर्व ख.न. 2742 रकवा 6 वि. व 2745 रकवा 6 वि. व 2505 रकवा 7 वि. 2520 रकवा 7 वि. 2487 रकवा 1 बी. 2वि. 2402 रकवा 9 वि. से बने हैं। जो कि मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 से साबित है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान को

12/06/24

वादी मुन्ना पुत्र दौजी जाति जाटव ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.06.2001 को जरिये कीमतन प्रतिवादी स. 1 धर्मा पुत्र दौजी से क्रय किया था जा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वयनामा फोटो प्रति से साबित है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के पक्ष में किए गए रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 21.06.2001 को खरीदशुदा आराजी में से खसरा नंबर 2492 रकबा 9 बिस्वा को दिनांक 13.06.2003 को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राजन व मानसिंह के पक्ष में विक्रय कर दिया गया जो कि वादी की खरीदशुदा आराजी में से विक्रय किया गया है जो कि वयनामा दिनांक 13.06.2003 की सत्यप्रतिलिपि से साबित है। इस प्रकार हाल रिकार्ड में खसरा नंबर 3630, 3658, 3844, 3842, 3502 वाके ग्राम बछामदी के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं खसरा नंबर 3620 वाके ग्राम बछामदी पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कराए गए वयनामा नल एण्ड वोईड है इस प्रकार वादी द्वारा खरीदशुदा आराजीयात का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हो सका अतः विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम चली आ रही है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 3 के इन्द्राजात खातेदारी कलमजन के हैं। मौखिक बयान के रूप में वादी मुन्ना पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी जाटौली रतभान तहसील भुसावर व झम्मनसिंह पुत्र मेघसिंह जाति जाट निवासी जाटौली रतभान तहसील भुसावर व महेन्द्रसिंह पुत्र सुगड़सिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई भरतपुर पेश किये गये जो वादी के वादपत्र को समर्थन करता है। अतः वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

12/06/24